उत्तराखण्ड शासन
सहकारिता विभाग

संख्याः–1053/XIV-1/2009
देहरादून, दिनांक 02 दिसम्बर, 2009

अधिसूचना

उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम 2003 की धारा 102क(1) के अधीन श्रीराज्यपाल महोदय निम्नानुसार **"उत्तराखण्ड राज्य सहकारी परिषद"** के गठन की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1.	मा0 सहकारिता मंत्री	सभापति।
2.	सहकारी आन्दोलन से सम्बन्धित जन प्रतिनिधि	उपसभापति।
3.	अपर निबन्धक	सदस्य सचिव।
4.	सदस्य	निबन्धक या उनके द्वारा नामित सदस्य।
5.	सदस्य	उत्तराखण्ड राज्य सहकारी संघ द्वारा नामित सदस्य।
6.	सदस्य	उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक द्वारा नामित सदस्य।
7.	स्दस्य	उद्यान विभाग से नामित सदस्य।
8.	सदस्य	दुग्ध, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग से नामित एक सदस्य।
9.	सदस्य	कुमाऊँ मण्डल से नामित सहकारिता आन्दोलन से सम्बन्धित एक सदस्य।
10.	सदस्य	गढ़वाल मण्डल से नामित सहकारिता आन्दोलन से सम्बन्धित एक सदस्य।
11.	सदस्य	अनुसूचित जाति से नामित एक सदस्य।

1.2– विभिन्न विभागों द्वारा परिषद हेतु नामित सदस्य अपर निदेशक स्तर से निम्न नहीं होंगे।

2– **परिषद के कार्य निम्नवत होंगे:–**

(क) राज्य सरकार को सहकारी आन्दोलन से सम्बन्धित सभी मामलों में सलाह देना,

(ख) सहकारी आन्दोलन की समीक्षा करना एवं राज्य की सहकारी समितियों के क्रियाकलापों में समन्वय स्थापित करने हेतु उपाय सुझाना।

(ग) सहकारी समितियां द्वारा अनुभव की जाने वाली कठिनाइयों के निवारणार्थ मार्गदर्शन देना एवं अन्य उपायों का संकेत करना,

(घ) ऐसे मामलों में राज्य सरकार को संसूचित करना जो इसे संदर्भित किये जायें।

(ङ) राज्य में सहकारी आन्दोलन के विकास हेतु योजनाओं तथा नीतियों के सम्बन्ध में अनुशंसा करना,

(च) वर्तमान योजना का मुल्यांकन एवं सहकारी विकास की नई योजनाओं को सुझाना जिसके माध्यम से पिछड़े वर्ग एवं समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लोगों का विकास हो सके,

(छ) राज्य सरकार को सहकारी ढंग से आर्थिक विकास की विशेष योजना के कार्यान्वयन में सुझाव देना एवं

(ज) उपरोक्त किन्ही उद्देश्यों हेतु विभाग अथवा विशिष्ट संघटनों के माध्यम से अध्ययन करना।

3– परिषद की बैठक एक वर्ष में कम से कम दो बार आयोजित की जायेगी। उक्त सम्बन्ध में समन्वय सम्बन्धी कार्य सदस्य सचिव द्वारा किया जायेगा।

4– परिषद का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा। परिषद के दिन प्रतिदिन के कार्यों के संचालन हेतु परिषद का एक कार्यालय होगा।

5– राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा निर्देशों के अनुरूप परिषद की बैठकों की कार्य पद्धति, सचिव के कर्तव्य, परिषद की उप समितियों के गठन, परिषद कार्यालय के सदस्यों की अवधि, यात्रा एवं दैनिक भत्ता के सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा।

ओम प्रकाश
सचिव।

संख्याः–1053(1)/XIV.1/2009, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव , उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त कुमॉऊ/गढ़वाल मण्डल नैनीताल/पौड़ी।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड को आवश्यक कार्यवाही तथा आदेश के प्रसारण हेतु।
6. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
7. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक लि0/उत्तराखण्ड राज्य सहकारी संघ लि0।
8. समस्त जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, फोटो लिथोप्रेस रूडकी, हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना को सरकारी गजट उत्तराखण्ड के असाधारण विधायी परिशिष्ट भाग–4 खण्ड (ख) में प्रकाशित कर मुद्रित अधिसूचना की 200 प्रतियां शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
10. प्रभारी मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड पत्रावली हेतु।

आज्ञा से

(वीरेन्द्र पाल सिंह)
अनुसचिव।